



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-26/2021

राज्य

बनाम्

नुरुल हुसैन बगैरह

-: आदेश :-

08/10/22
वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2320/अप0शा0 दिनांक 30.11.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद महुआडांड थाना काण्ड संख्या-60/2021 दिनांक-16.08.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार ने धारा- 379/414 भा0द0वि0 एवं धारा- 4(1)(A)/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम अधिनियम 1957) एवं धारा-54/13 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH19C-3261 एवं ट्राली पंजीयन संख्या-JH08B-5420 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त वाहन एवं विपक्षी के विरुद्ध इसके पूर्व किसी प्रकार का शिकायत व मुकदमा दर्ज नहीं है तथा खान एवं खनिज अधिनियम एवं झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमावली से संबंधित किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। पुलिस द्वारा वाहन रोकने का इशारा करने पर वाहन चालक डालटनगंज रोड डुबकी मिशन चौक महुआडांड के पास गाड़ी रोककर वाहन संबंधित कागजात दिखाये थे, तथा डुबकी मिशन के पास पूर्व में रखा हुआ बालू को घर की नाली निर्माण हेतु ले जा रहे थे, ड्राइवर के कहे जाने पर की कागजात की छायाप्रति है, पुलिस बल द्वारा कागजात की छायाप्रति को फाड़ दिया गया और उक्त

वाहन को महुआडांड थाना में ले जाया गया, जिसके पश्चात् महुआडांड थाना आम्ह संख्या- 60/2021 दर्ज किया। उक्त बालू स्टॉक किया गया था, जिसका चालान प्रतिपक्षी के पास है, नाली निर्माण हेतु जा रही थी, जो पूर्व के बालू को बिना जांच पड़ताल किये केश दर्ज किया गया। सूचक द्वारा प्रतिपक्षी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि प्रतिपक्षी खान एवं खनिज अधिनियम तथा झारखण्ड लघु खनिज नियमावली से संबंधित किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। यह कि प्रतिपक्षी के पास उपलब्ध सभी कागजात न्यायालय में संलग्न किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा वाहन को राजसात करने हेतु दाखिल प्रस्ताव को न्यायहित में खारिज किया जाय। प्रतिपक्षी के वाहन माननीय न्यायालय द्वारा पुरी जांच कर व संतुष्ट होकर मुक्त कर दिया गया है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 15.08.2021 को गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से बालू खनिज लोड कर परिवहन करने के आरोप में ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH19C-3261 एवं ट्राली पंजीयन संख्या-JH08B-5420 को जप्त किया गया था, जो "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियमों का उल्लंघन है। वाहन मालिक द्वारा बिना वैध ई-परिवहन चालान के बालू का अवैध रूप से परिवहन कार्य झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित 2019 के नियम 54 एवं "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13 के तहत दण्डनिय अपराध है। फलस्वरूप अवैध रूप से बालू खनिज लोड कर परिवहन कार्य में संलिप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH19C-3261 एवं ट्राली पंजीयन संख्या-JH08B-5420 को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि राजसात के मामले की सुनवाई एक साथ उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय, लातेहार में चलाई जा रही है। व्यवहार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा जप्त वाहन को रिलिज किये जाने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर पुलिस अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय को उपायुक्त-सह-जिला



दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में चल रहे राजसात की कार्रवाई की सूचना ससमय नहीं दिया गया, जिससे व्यवहार न्यायालय द्वारा No Objection का Submission मानते हुए वाहन को रिलिज कर दिया गया है।

वाहन विपक्षी के स्वरोजगार का श्रोत है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JM19C-3261 एवं ट्राली पंजीयन संख्या-JM08B-5420 को निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :-

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


08/10/24
उपायुक्त,
लातेहार।


08/10/24
उपायुक्त,
लातेहार।